

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.2(ग)()पेन्शन/अलेस-1/2018 / 140

दिनांक 2/5/2018

आयुक्त
परिवहन विभाग
राजस्थान, जयपुर

निदेशक
स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग
राजस्थान, जयपुर

विषय:- पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग में पेन्शन रिवीजन हेतु सैकण्डमेन्ट आधार पर पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों को कार्यमुक्त करने बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत विभाग के आदेश संख्या एफ-2/ग/जयपुर/अलेस-1/2018/1401 दिनांक 14 मार्च 2018 के द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान सहायक लेखाधिकारी-1 कार्यालय आयुक्त परिवहन विभाग जयपुर एवं श्री गोविन्द प्रसाद गोयल, सहायक लेखाधिकारी-1 कार्यालय निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को वित्त विभाग की स्वीकृति दिनांक 17.1.2018 के अनुसरण में सेवानिवृत्त/ सेवा में रहते मृत्यु को प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान 2017 दिये जाने हेतु पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग में सैकण्डमेन्ट बेसिस पर लगाया गया था लेकिन आप द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं किये जाने के कारण सेवानिवृत्त कर्मिकों के फिक्सेशन का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है जिसके कारण सेवानिवृत्त कर्मिकों में असन्तोष उत्पन्न होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित कर्मिकों को आदेश दिनांक 14 मार्च 2018 की पालना में वित्त विभाग द्वारा निर्देशित अवधि के लिये सैकण्डमेन्ट बेसिस पर कार्यमुक्त करने की व्यवस्था करावें।

भवदीया

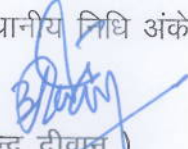

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

दिनांक 2/5/2018

क्रमांक: एफ.2(ग)()पेन्शन/अलेस-1/2018 / 140

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर
3. श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान सहायक लेखाधिकारी-1 कार्यालय आयुक्त परिवहन विभाग जयपुर को पालनार्थ
4. श्री गोविन्द प्रसाद गोयल, सहायक लेखाधिकारी-1 कार्यालय निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर को पालनार्थ


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कर्मिक-1)